



राजस्थान आवासन मण्डल

द्वारा

शिवसिंहपुरा आवासीय योजना सीकर MIG-A

निर्मित (G+3) फ्लैट्स एवं

देवीपुरा आवासीय योजना सीकर में रिहायसी आवास की
मुहरबन्द भव्य नीलामी

सूचना

क्र. सं.	योजना का नाम	मुहरबन्द बिड प्रस्ताव प्राप्त करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	मुहरबन्द बिड प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय	संबंधित कार्यालय का नाम व पता, मुहरबन्द प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना व खोला जाना है।
1.	शिवसिंहपुरा सीकर/ देवीपुरा सीकर	18.02.2019 से 18.03.2019 सायं 5.00 बजे तक	19.03.2019 दोपहर— 2.30 बजे	परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल उप खण्ड— सीकर फोन नं०— 01572-256845

क्र.सं.	योजना का नाम	निर्मित फ्लैट(G+3)/आवास				न्यूनतम बिड मूल्य रूपये प्रति फ्लैट/आवास	संलग्न की जाने वाली अमानत राशि रूपये (5 प्रतिशत)
		फ्लैट नम्बर	सामान्य/ कॉर्नर	प्लीन्थ एरिया (व.मी.)	फ्लैट/आवास का क्षैत्रफल (व.मी.)		
1	शिवसिंहपुरा सीकर	14/D/02(G.F.)	सामान्य	74.30	42.914	2905000.00	145250.00
2	शिवसिंहपुरा सीकर	14/D/12(2.F.)	सामान्य	74.30	22.959	2515000.00	125750.00
3	शिवसिंहपुरा सीकर	14/E/07(3.F.)	सामान्य	74.30	14.977	2360000.00	118000.00
4	देवीपुरा सीकर	01/01	कॉर्नर	92.66	236.25	5000000.00	250000.00

नोट: बिडदाताओं द्वारा नीलामी में बिड प्रस्तुत करने हेतु लिफाफे पर लिखे जाने वाले विवरण का प्रारूप बिड आवेदन पत्र मय नीलामी बिड की शर्तों के विस्तृत विवरण उपखण्ड कार्यालय सीकर से दिनांक 18.02.2019 से मुहरबन्द बिड प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 18.03.2019 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किया जा सकता है। अथवा आवासन मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

सम्पर्क सूत्रः—

- आवासीय अभियन्ता, 2/3-4, राजस्थान आवासन मण्डल, पुरानी कॉलोनी चुरु रोड, झुंझुनूं फोन नं: 01592-232319
- परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) कार्यालय उप खण्ड— सीकर फोन नं०— 01572-256845

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड—झुंझुनूं

लिफाफे पर चिपकावें

1) भूखण्ड का विवरण :-

- (अ) योजना का नाम :- देवीपुरा सीकर/शिवसिंहपुरा सीकर
(ब) वाणिज्यिक / आवासीय / भूखण्ड / निर्मित आवास / निर्मित दुकान / निर्मित फ्लैट संख्या (जो लागू ना हो उसे काट दें)

2) बिडदाता का नाम :-

3) श्रेणी :- सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति

4) संलग्न अमानत राशि :- ()

डी०डी०/बैंकर चैक संख्या दिनांक

जारीकर्ता बैंक का नाम

5) मुहरबंद बिड प्रस्ताव खोलने की दिनांक :

बिडदाता के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

पिन कोड :

मोबाइल सं :

ईमेल :

- 1) बिडदाता का नाम :—
- 2) पिता/पति का नाम :—
- 3) श्रेणी :— सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
(अ0जा0 / अ0ज0जा0 के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 4) पता :—

स्व हस्ताक्षरित
फोटो

..... (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

कृपया पिन कोड आवश्यक रूप से अंकित करें।

- 5) पैन कार्ड नम्बर :— (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 6) आधार कार्ड नम्बर :— (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 7) दूरभाष :— मोबाइल नम्बर :—
ईमेल :— (कैपिटल अक्षरों में लिखें)
- 8) अमानत राशि एवं परिसम्पत्ति का विवरण :—
 (अ) योजना का नाम :— देवीपुरा सीकर /शिवसिंहपुरा सीकर
 (ब) वाणिज्यिक / आवासीय / भूखण्ड / निर्मित आवास / निर्मित दुकान / निर्मित फ्लैट संख्या (जो लागू ना हो उसे काट दें)
 माप के लिये न्यूनतम बिड मूल्य अनुसार अमानत राशि (‘) की डी0डी0 / बैंकर चैक संख्या
 दिनांक जारीकर्ता बैंक का नाम
 संलग्न है।
 (नोट:— डी.डी. / बैंकर चैक राजस्थान आवासन मण्डल, सीकर के नाम से बनवाये)

नीलामी के नियम एवं शर्तें

- 1) प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी तथा राशि रूपये 10.00 करोड़ से अधिक के न्यूनतम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रूपये 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड मूल्य का 05 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करानी होगी।
- 2) उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 72 घन्टे में सम्बन्धित बैंक में जमा की रसीद की प्रति कार्यायिल में प्रस्तुत करनी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने अथवा कम जमा होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

- 3) शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
- 4) बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि/ समय के पश्चात् प्राप्त हुये मुहरबन्द बिड प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5) बिड प्रस्ताव में यदि बिडदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लेख किया जाता है, तो ऐसे सशर्त बिड प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 6) बिड दाता द्वारा परिसम्पत्ति की अंकों में व शब्दों में प्रस्तुत बिड दर/राशि में अन्तर होने की स्थिति में, शब्दों में उल्लेखित बिड दर/राशि ही मान्य होगी।
- 7) किसी एक अथवा समस्त बिड प्रस्तावों को बिना कारण बताये, निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एवं इस संबंध में कोई वाद/विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- 8) आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन “जहाँ है जैसा है” के आधार पर निरस्तारित कियें जायेंगे।
- 9) आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन का वास्तविक माप मौके पर उपलब्ध अनुसार ही अंतिम होगा एवं तदनुसार ही गणना की जावेगी।
- 10) किसी परिसम्पत्ति हेतु प्राप्त मुहरबंद बोली प्रस्तावों में से एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्रस्तुत करने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थित एक समान बोलीदाताओं से बन्द लिफाफे में उसी समय पुनः दर प्राप्त की जावेगी। जोकि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। किसी बोलीदाता के मुहरबन्द बिड खोले जाने के समय पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसका दरों के संबंध में किसी प्रकार का वाद मान्य नहीं होंगा।
- 11) भूखण्ड वार्षिक शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर विक्रय किया जावेगा। लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी। इस अवधि के बाद आवासन मण्डल की सहमति से लीज अवधि 99 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। आवासीय भूमि विकास दर की 2.5 प्रतिशत (ढाई प्रतिशत) वार्षिक एवं व्यवसायिक भूखण्ड/निर्मित दुकान सम्पत्ति पर लीज 5.0 प्रतिशत की दर से वाणिज्यिक भूमि विकास दर पर वार्षिक रूप से देय होगी।
- 12) बिड के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल के नियमों/शर्तों में समय—समय पर किये गये संशोधन/संवर्धन मान्य होंगे।
- 13) नीलामी बोली के नियमों/शर्तों एवं अन्य जानकारी संबंधित कार्यालय/ आवासन मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर ली गयी है।
- 14) आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड एवं संस्थानिक हेतु प्रति वर्गमीटर की दर से बिड प्रस्तुत करने के निर्देशों के विपरीत यदि बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड की एक मुश्त कीमत बिड में भरी जाती है, तो ऐसी स्थिति में, अन्य बोलीदाताओं की दरों से तुलना की दृष्टि से, एकमुश्त कीमत को विज्ञप्ति में दर्शित भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रति वर्गमीटर दर निकाली जायेगी। आवासीय फ्लैट के लिये एक मुश्त राशि, न्यूनतम 100 के गुणक में, भरी जावेगी।
- 15) खुली बोली न्यूनतम 100/- रुपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी।

- 16) सक्षम स्तर से अनुमोदित अधिकतम बिड की राशि के साथ—साथ नियमानुसार **अन्य विविध शुल्क** (व्यावसायिक हेतु 5.0 प्रतिशत एवं आवासीय हेतु 3.0 प्रतिशत), 1000 विधिक शुल्क, लीज मनी देय होंगे। माल एवं वस्तु कर की दर **अन्य विविध शुल्क** पर 12.0 प्रतिशत एवं नक्शा शुल्क, विधिक शुल्क, लीज मनी पर 18.0 प्रतिशत है, जो कि आवंटन पत्र के अनुसार अतिरिक्त देय होंगे।

उद्घोषणा

मैं/हमपुत्र/पुत्री/पत्नि श्री/
 श्रीमती
 (बिडदाता – वाणिज्यिक / आवासीय / संस्थानिक
भूखण्ड / निर्मित आवास / निर्मित दुकान / निर्मित भवन संख्या
 सेक्टर जोन देवीपुरा सीकर/शिवसिंहपुरा सीकर)

घोषणा करता/ करती/ करते हूँ/ हैं कि मैंने/ हमने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उक्त नीलामी हेतु आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त नीलामी संबंधी नियमों/ विनियमों/ शर्तों एवं उनमें समय—समय पर किये गये संशोधनों/ संवर्द्धनों को भली—भांति समझ लिया है।

मैं/हम यह भी घोषणा करता/ करती/ करते हूँ/ हैं कि नीलामी समिति द्वारा मेरी/हमारी उच्चतम दर होने पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने के परिणामस्वरूप, मुझे/हमें नीलामी स्वीकृति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नीलामी बिड प्रस्ताव आवासन मण्डल के सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं कर दी जाती है एवं इस संबंध में, मैं/ हम कोई विवाद उत्पन्न नहीं करूंगा/करूंगी/करेंगे।

दिनांक:

बिडदाता के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

.....

पिन कोड :

मोबाइल सं :

ईमेल :

मुहरबंद बिड प्रस्ताव

मैं/हम, मुहरबंद बिड खोलने की दिनांक में प्रस्तावित
वाणिज्यिक/आवासीय/भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित फ्लैट
संख्या सेक्टर
देवीपुरा सीकर/शिवसिंहपुरा सीकर के लिए अपनी/ हमारी बिड दर रूपये (अंको में)
..... (शब्दों में) प्रति वर्ग
मी0/ प्रति आवास/प्रति दुकान/प्रति भवन प्रस्तुत करता/करती हूँ/करते हैं।
(जो लागू ना हो उसे काट दें)

दिनांक:

बिडदाता के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

पिन कोड :

मोबाइल सं :

ईमेल :